



एनसीईआरटी युक्तिकरण: भ्रम/संदेह का स्पष्टीकरण

यह एडिटरियल 12/06/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित [“No Textbook Conspiracy”](#) पर आधारित है। इसमें एनसीईआरटी द्वारा हाल ही में किये जाने वाले पाठ्यपुस्तक युक्तिकरण के संबंध में प्रसारित दुष्प्रचार के खतरे के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिसः

[नई शिक्षा नीति](#), एनसीईआरटी, शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति, [राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा \(NCF\)](#)

मेन्सः

एनसीईआरटी - युक्तिकरण, आलोचकों की चर्चाएँ, आलोचनाओं की प्रतिक्रिया और ऐसे विवादों से बचने के उपाय

हाल ही में ऐसी चर्चाजनक खबरें प्रसारित हुईं कि **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training- NCERT)** द्वारा विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से प्रमुख अवधारणाओं और खंडों को (उल्लेखनीय रूप से विकासवाद के सिद्धांत और आवर्त सारणी को) हटा दिया गया है।

आम संदेहकर्ताओं के लिये यह एक अवसर बना क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत में धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच के अंत होने का प्रसार किया। इस ओर वैश्विक स्तर पर भी ध्यान गया और अल-जज़ीरा, डॉयचे वेले तथा प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर' आदि ने इस पर टिप्पणी की।

इस मामले में सोशल मीडिया पर असत्यापित सूचना का प्रसार होना एक चर्चाजनक बात थी, जिसे मुख्यधारा की मीडिया द्वारा और प्रसारित किया गया। एक समाचार माध्यम से दूसरे समाचार माध्यम तक इसका वसितार होने से दुष्प्रचार और भ्रम का प्रसार हुआ।

इससे न केवल एनसीईआरटी की प्रतिक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी संदेह उत्पन्न हुआ। देश की शिक्षा प्रणाली की नकारात्मक छवि को दूर करने के लिये सरकार पहले से ही प्रयासरत है। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत पूर्ण नहीं है — इसे चुनौती दी जा सकती है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत (Theory of Evolution) को प्रश्नगत करने वाले नवीनतम विमर्शों को भी पाठ्यक्रम का अंग बनाये जाने की आवश्यकता है।

पाठ्यक्रम युक्तिकरण के लिये मानदंडः

एनसीईआरटी को सभी कक्षाओं और वर्षों की पाठ्यपुस्तकों के युक्तिकरण (rationalisation) का कार्य सौंपा गया था। इस प्रक्रिया में पाँच व्यापक मानदंडों पर विचार किया गया:

- एक ही कक्षा के लिये विभिन्न वर्षों में समान पाठ्य सामग्री की ओवरलैपिंग
- निम्न कक्षा या उच्च कक्षा में समान पाठ्य सामग्री
- जटिलता का स्तर
- आसानी से उपलब्ध सामग्री जहाँ शिक्षकों की ओर से अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं हो और इसे स्वाध्याय या सहपाठी-अधिगम (peer-learning) के माध्यम से सीखा जा सकता हो।
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री

युक्तिकरण से संबंधित तर्कः

पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन करना एनसीईआरटी द्वारा क्रियान्वित एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि ये परिवर्तन यादृच्छिक नहीं होते हैं। ये परिवर्तन विशिष्ट संदर्भों में किये जाते हैं:

- **बदलती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये:** कुछ परिवर्तन बदलती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिये किये गए – इनमें सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से संबंधित सामग्री का समावेश शामिल है।

- **नई शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना:** देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया जाता है। इस मामले में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP), 2020** ने पथ-प्रदर्शन किया जहाँ “पाठ्य सामग्री के भार को कम करने और रचनात्मक मानसिकता के साथ अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है।”
- **महामारी का प्रभाव:** महामारी के दौरान शिक्षण समय का नुकसान होने के परिणामस्वरूप अधिगम/लर्नगि की हानि हुई और छात्रों पर भार बढ़ गया। **शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति** द्वारा इस बारे में भी चिंता व्यक्त की गई थी।
 - इस परदृश्य में “अधिगम नरितरता में तेजी से सुधार और छात्रों के समय के नुकसान की भरपाई” को सुगम बनाने के लिये युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

आलोचकों द्वारा व्यक्त प्रमुख चिंताएँ:

- इसमें आरोप लगाया गया है कि पाठ्य सामग्री में बदलाव की कवायद **राजनीति से प्रेरित** है और इसका उद्देश्य भारत के इतिहास, संस्कृति एवं विविधता के ऐसे कुछ पहलुओं को मटिना या वकित करना है जो शासन की विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं।
- इसे **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के प्रगतशील ध्येय से **वसिगत** बताया गया है जहाँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बहु-वषियक अधिगम एवं विविधता के प्रती सम्मान पर बल दिया गया है।
- इसमें कहा गया है कि युक्तिकरण में **पारदर्शिता की कमी** है और शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविदों एवं नागरिक समाज समूहों जैसे हतिधारकों के साथ परामर्श नहीं किया गया है।
- इसको **कोवडि-19 महामारी** के कारण हुई अधिगम की हानि को दूर करने के संबंध में **अनावश्यक एवं अप्रभावी** बताया गया है और कहा गया है कि इसे हल करने के लिये वस्तुतः कक्षा-स्तरीय हस्तकषेप और शिक्षकों के सशक्तीकरण की आवश्यकता है।
- इसमें कहा गया है कि युक्तिकरण से पाठ्यक्रम की व्यापकता एवं गहनता के बारे में भी चिंता उत्पन्न हुई है क्योंकि **भारत सारणी, डार्वनि के विकासवाद के सिद्धांत** और फाइबर एवं फैब्रिक जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण अध्यायों को हटा दिया गया है।

सरकार का दृष्टिकोण:

- **भारत सारणी** को “**स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम से नहीं हटाया गया है**” बल्कि इसे कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक में इकाई 3 में शामिल किया गया है।
- **डार्वनि के विकासवाद के सिद्धांत** को कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक के छठे अध्याय में ‘वसितृत वविरण’ के साथ शामिल किया गया है।
- कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक (भारत का संविधान : सिद्धांत और व्यवहार) में **मौलाना आज़ाद** के संदर्भ को हटाना, युक्तिकरण की वर्तमान प्रक्रिया का अंग नहीं है।
 - इस संदर्भ को वर्ष 2014-15 से ही हटा दिया गया था।
 - लेकिन फरि भी इसे वृहत विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि पूर्व में भी कई राजनेताओं का उल्लेख पाठ्यपुस्तकों में मौजूद नहीं रहा है।
- जारी बहस में एक और महत्त्वपूर्ण बात छूट गई है कि ये पाठ्य पुस्तकें केवल इस वर्ष के लिये हैं। NEP, 2020 का अनुपालन करने के क्रम में पाठ्य पुस्तकों के सकिरनाइजेशन के अलावा, पाठ्यपुस्तकों को वर्ष 2005 में गठित पाठ्यपुस्तक विकास समिति (Textbook Development Committee) द्वारा नियमिति रूप से संशोधित किया जाना है।
 - इस समिति को वर्ष 2005 की **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework- NCF)** के अनुरूप पाठ्यक्रम वकिसति करने का कार्य सौंपा गया है।
 - प्रत्येक प्रस्तावति परविरतन को पहले पाठ्यपुस्तक समिति को भेजा जाता है जिसे उनका वशिलेण करने और अनुशंसा करने का कार्य सौंपा गया है।
- आलोचकों का तर्क है कि कुछ मदों को हटाने की बात युक्तिकरण की अधिसूचना में शामिल नहीं थी। लेकिन इसका किसी साजशि से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यह पुनरमुदरण की नियमिति प्रक्रिया का परिचायक है जहाँ अनावश्यक भ्रम से बचने के लिये मामूली परविरतन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है।
- इसके अलावा ये कोई **आमूलचूल परविरतन नहीं** है क्योंकि हतिधारकों के सुझावों का ध्यान रखने के लिये पाठ्यपुस्तकों का पुनरमुदरण एक जारी प्रक्रिया है जो हर वर्ष होती है।
- परविरतन के ये नरिणय वशिषज्ज पैनल द्वारा लिये गए हैं। पाठ्य पुस्तकों का हालिया युक्तिकरण महामारी के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े बोझ को कम करने के लिये एक आवश्यकता-आधारति अभ्यास है।
 - एनसीईआरटी से संलग्न वषिय वशिषज्जों के साथ-साथ 25 बाहरी वशिषज्जों के परामर्श के बाद परविरतन के ये नरिणय लिये गए हैं।

युक्तिकरण से संबद्ध पूर्व के कुछ विवाद:

- वर्ष 1978-79 में प्रधानमंत्री **मोरारजी देसाई** के कार्यकाल के दौरान इतिहास की पुस्तकों को संशोधित करने पर राजनीतिक स्तर पर विवाद उत्पन्न हुआ था।
- वर्ष 2006 में यूपीए शासनकाल के दौरान भारी विवाद के कारण सखि धर्म संबंधी एक अध्याय को बदलना पड़ा था।
- एक अन्य विवाद वर्ष 2012 में हुआ था जब दलिली के फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम ने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों से दो मध्ययुगीन चित्रों को इस आधार पर हटाने की मांग की थी कि इनका समावेशन शरिया कानून का उल्लंघन करता है।

आगे की राह:

- **भागीदारीपूर्ण और साक्ष्य-आधारति प्रक्रिया:** यह सुनिश्चित किया जाए कि पाठ्यक्रम विकास और संशोधन प्रक्रिया अधिक सहभागितापूर्ण, पारदर्शी एवं साक्ष्य-आधारति हो।

- इसका अभिप्राय यह है कि एनसीईआरटी को नरिणय लेने की प्रक्रिया में विशेषज्ञों, शक्तिषकों, छात्रों, अभिभावकों और अनूय हतिधारकों को शामिल करना चाहयि तथा कसिी भी बदलाव या वलियोपन के पीछे के तर्क एवं साकष्य को सार्वजनकि रूप से साझा करना चाहयि ।
- **फीडबैक और सुझावों को शामिल करना:** एनसीईआरटी को पाठ्य पुस्तकों के उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक एवं सुझावों पर भी वचिर करना चाहयि और शक्तिषा कषेत्र में नवीनतम शोध एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आधार पर संशोधन करना चाहयि ।
- **पाठ्येतर गतविधियों पर भी ध्यान केंद्रति करना:** खेल जैसी पाठ्येतर गतविधियों को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहयि । खेलों में भागीदारी से न केवल शारीरकि सेहत बनाए रखने में मदद मलिती है बल्कि सामाजकि कौशल, टीमवर्क और नेतृत्वकारी गुणों को भी बढ़ावा मलिता है ।
- इससे छात्रों को शैक्षणकि गतविधियों से इतर भी अपनी रुचियों-अभिरुचियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान होता है ।

नषिकर्ष:

परविरतनों की तब तक ही सराहना की जानी चाहयि जब तक यह सुदृढ़ तथ्यों एवं साकष्य आधारति हों । गलत अफवाह या पारदर्शति एवं उत्तरदायति के अभाव से ऐसी प्रक्रियाएँ कमजोर होती हैं । इस संदर्भ में कोई भी वविद या बहस करने से पहले संदर्भ और तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहयि । दुष्प्रचार के खतरों के बारे में सीखना, स्वयं में एक शक्तिषा है ।

अभ्यास प्रश्न: “दुष्प्रचार के खतरों के बारे में सीखना, स्वयं में एक शक्तिषा है ।” राष्ट्रिय शैक्षणकि अनुसंधान और प्रशक्तिषण परषिद (NCERT) द्वारा हाल ही में पाठ्य पुस्तकों में कयि जाने वाले परविरतनों के संदर्भ में उक्त कथन की चर्चा कीजयि ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???????????????? ?????:

प्र. भारतीय संवधिान के नमिनलखिति में से कौन-से प्रावधान शक्तिषा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्‍य की नीति के नरिदेशक तत्त्व
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय नकियाय
3. पाँचवीं अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवीं अनुसूची

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर:(d)

???????????????? ?????:

Q1. भारत में डजिटिल पहल ने कसि प्रकार से देश की शक्तिषा व्यवस्था के संचालन में योगदान कयि है? वसित्त उत्तर दीजयि । (2020)

Q2. जनसंख्या शक्तिषा (Population education) के प्रमुख उद्देश्यों की वविचना कीजयि तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों का वसित्तर से उल्लेख कीजयि । (2021)